

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—मेजा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:— श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—223/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- 1—श्री दीपक पिता देबीलाल प्रजापत, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा  
2—श्रीमति शारदा पत्नि नरेश प्रजापत, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला  
भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादीगण

बनाम

1—श्री गोपाल पिता भैरू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल मृतक के  
कायम मुकाम:—

- 1/1—श्री नरेश पिता गोपाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
1/2—श्रीमति राधा पत्नि गोपाल कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
2—श्री जगदीश पिता भैरू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
3—श्री सत्तू पिता भैरू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
4—श्री मिटू पिता भैरू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
5—श्रीमति घीसी बेवा भैरू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
6—श्री सोहन पिता नंदा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
7—श्री रामा पिता भूरा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
8—श्री कन्हैयालाल पिता भूरा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
9—श्री रामचन्द्र पिता किशना कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
10—श्री देबी पिता नाथू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
11—श्री रामेश्वर पिता नाथू कुम्हार, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल  
12—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भादू तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
13—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल (भीलवाड़ा)

———प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से — एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या  
1 से 11 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज  
दिनांक 13.5.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश  
दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों  
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष  
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

(देवी सिंह)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक क्लर्क माण्डल

वादीगण का वाद पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

( देवी सिंह रावत )

पीठाधीश्वर

उपखण्ड अधिकारी,

पटवर्तन मंडल, जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,

मौडली जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं

पटवर्तन मंडल कलक्टर माण्डल

13.5.16